रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082026-275664
CG-DL-E-21082026-275664

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 688]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2026/श्रावण 30, 1948
No. 688]	NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2026/SHRAVAN 30, 1948

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त , 2026

सा.का.नि. 754(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय वक़्फ़ परिषद नियमावली, 1998 के नियम 13 के साथ पठित एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 की धारा 12 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय वक़्फ़ परिषद (समूह 'क', 'ख' और 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय पद) भर्ती नियमावली, 2014 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय वक्फ परिषद (समूह 'क', 'ख' और 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय पद) भर्ती संशोधन नियमावली, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय वक्फ परिषद (समूह 'क', 'ख' और 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय पद) भर्ती नियमावली, 2014 की अनुसूची में क्रम संख्या 1 पर सचिव के पद से संबंधित प्रविष्टियों में, _-

(क) स्तंभ (10) के अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी:

"प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा.";

(ख) स्तंभ (11) के अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी:

(क) केंद्रीय सरकार में उप सचिव या निदेशक या उससे उच्च पद के सेवानिवृत्त अधिकारी;

या

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त या वैधानिक निकाय के कार्यरत अधिकारी,—

(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण करते हों; **या**

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78,800–2,09,200 रु.) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखते हों:

अनिवार्य:-

i. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक उपाधि या समकक्ष; और

ii. प्रशासनिक, वित्तीय तथा विधिक मामलों में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:

i. वित्तीय एवं विधिक मामलों में 5 वर्ष का अनुभव; या

ii. वक्फ प्रबंधन, प्रशासन, वित्त एवं प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभव।

टिप्पण 1 : सेवानिवृत्त व्यक्ति के मामले में जो किसी भी स्रोत से पेंशन प्राप्त करता हो, उसे नियत मासिक पारिश्रमिक की राशि देय होगी, जो सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन से मूल पेंशन घटाकर निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार नियत पारिश्रमिक की राशि संविदा की अवधि के लिए अपरिवर्तित रहेगी और संविदा की अवधि के दौरान इसमें कोई वार्षिक वृद्धि या प्रतिशत वृद्धि नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत वर्तमान या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्समानी वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाय वहां के जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का एक श्रेणी में, समान ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ विलय किया गया है और

जहां यह लाभ केवल ऐसे पदों को विस्तारित होगा, जिनके लिए श्रेणी, वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापना श्रेणी है।

[फा. सं. Waq-18/1/2025-Coord.MoMA]

मोहम्मद अफ़ज़ल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 363(अ), तारीख 28 मई, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 617(अ), तारीख 22 जून 2016 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2026

G.S.R. 754(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 12 of the Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development Act, 1995 read with rule 13 of the Central Waqf Council Rules, 1998, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Waqf Council (Group 'A', 'B' and 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial Posts) Recruitment Rules, 2014, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Central Waqf Council (Group 'A', 'B' and 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial Posts) Recruitment Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Waqf Council (Group 'A', 'B' and C' Non-Gazetted, Non-Ministerial Posts) Recruitment Rules, 2014, in the Schedule, against serial number 1 relating to the post of Secretary, -

(a) in column (10), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,-

" By deputation (including short-term contract).";

(b) in column (11), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,-

"(a) retired officers of the rank of Deputy Secretary or Director or above in the Central Government;

Or

Serving officers of the Central Government or the State Government or Union territory Administration or public sector undertaking or autonomous or statutory body, -

(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in post level 12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) or equivalent; and

(b) possessing the following qualifications and experience,-

Essential:

(i) a Bachelors' degree or equivalent from a recognised University or institute; and

(ii) having at least five years experience of administrative, financial and legal matters.

Desirable:

(i) five years of experience in financial and legal matters; or

(ii) experience in the field of waqf management, administration, finance and management.

Note1: In case of a retired person who draws a pension from whatever source, a fixed monthly amount of remuneration shall be admissible, which shall be arrived at by deducting the basic pension from the pay drawn

at the time of retirement. The amount of remuneration so fixed shall remain unchanged for the term of the contract and there shall be no annual increment or percentage increase during the contract period.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department shall ordinarily not exceed four years. The maximum age-limit for appointment to deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission, has been extended, shall be deemed to be the service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation."

[F.No. Waq-18/1/2025-Coord.MoMA]

MOHAMMAD AFZAL, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number G.S.R. 363(E) dated the 28th May, 2014 and subsequently amended, vide number G.S.R 617 (E), dated the 22nd June, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA